न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1058-पीबीआर/2014 जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-4-2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 12-11-2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण क्रमांक 456/अपील/2011-12 प्रचलित है । अतः प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में वरिष्ठ न्यायालय में अपील संबंधी प्रकरण प्रचलित होने से तहसील न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंबित प्रकरण समाप्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	N ord 30/4/14

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका क्र.

अर्पण दिनांक

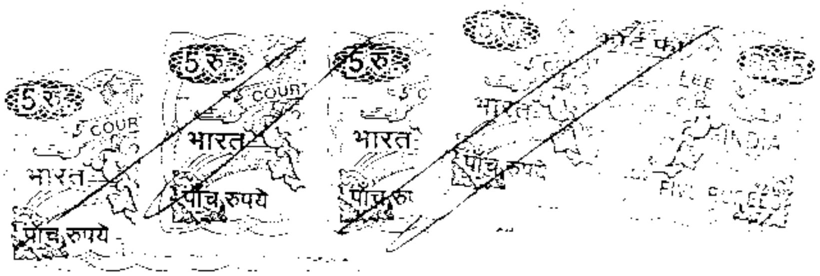

R 1058 - PBR/14

श्री हेमंत मुंशी अभिभाषक द्वारा पेश ... प्रस्तुत

1. छगनलाल पिता भानु आदिवासी, निवासी ग्राम मांजरोद खुर्द, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर म.प्र. ===आवेदक/पीटीशनर

विरुध्द

1. नारायण पिता नानु कोरकू, निवासी ग्राम रोशनपुर, तहसील खकनार जिला बुरहानपुर म.प्र. ===अनावेदक/नानपीटीशनर

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. संहिता.

===

आवेदक/पीटीशनर अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, खकनार जिला बुरहानपुर म.प्र. के रा.प्र.क्र. 3-अ/70 सन 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12/11/2013 से असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहा है.